(20)

FORM-4

(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

No. 86/XXVI-165(16-17) Dated 28-6-2012

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF' s letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.730**hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Executive Engineer, Cons.Divi Pey jal Nigam, Chamba for **Suridhar GoV pumping Water Supply Scheme** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of village-(s) in **Tehri Tehsils.**

It is further certified that.

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.730Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.

(b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Enclosure. As above

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pey Jal Sansadhan
Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

(सौनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Collector
New Tehri

(21)

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTRAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional Fores Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA 2006 wad held under the chairmanship of Smt. Sonika I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in Which the applicant claiming rights in Thauldhar Block area measuring **0.730 Hectare** for the costruction of **Suridhar GoV Pumping Water Supply Scheme** in Tehsil Tehri/Kandisaur of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for the said purpose.

Dated. 27-6-2017

Place - Tehri

(सोनिका)
जिला अधिकारी

District Collector Com Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pey Jal Sansadhan
Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

(22)

It is Further certified that Minutes fo meeting **Syridhar GoV Pumping Water Supply Scheme** regarding FRA is as following.

Dated 27-6-2017

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.730 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection cerficate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

प्रतिहस्ताक्षरित

श्रीमती सदस्य
टिहरी गढ़वाल।
जिला पंचायत
टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
टिहरी

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sansadhan
Vikas Evam Nirman Nigam
(Tehri Garhwal)

(सोनिका)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के थौलधार ब्लॉक के **सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल** के निर्माण हेतु **0.730है0** वनभूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु **जल निगम, चम्बा** को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एस0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, **पाईप लाईन बिछाने** आदि परियोजना को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sansadhan
Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)
अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
चम्बा (टि0ग0)

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढवाल
जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

Faiz. 4 Suridhar WSS

(24)

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी टिहरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति टिहरी

तहसील टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना** का निर्माण (**आरक्षित वनभूमि 0.285 है0, सिविल सोयम भूमि 0.445 है0 कुल भूमि 0.730 है0)** जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील टिहरी) की दिनांक 12-06-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1.	श्री एल.एस. पांडेय	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री डी० के० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री डी० आर० खन्ना	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4.	श्री जसवीर सिंह भण्डारी	क्षेत्र पंचायत सदस्य/ज्येष्ठ उपप्रमुख थौलधार	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत **सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना** हेतु **0.730** है0 वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **सूरीधार मन्दिर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना** के निर्माण हेतु **0.730 है0** वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील टिहरी
जनपद टिहरी

उप जिलाधिकारी
टिहरी, टि0ग0

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील टिहरी
जनपद टिहरी

जसवीर सिंह भण्डारी
ज्येष्ठ उपप्रमुख
वि0 ख0–थौलधार
टिहरी गढ़वाल

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड–थौलधार, (टि0ग0)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड थौलधार
जिला–टिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सकलाना उप वन प्रभाग

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण।

उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के थौलधार ब्लॉक के **सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल** के निर्माण हेतु **0.73 है0** वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु **जल निगम, चम्बा** को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एस0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम (सहायक अभियन्ता) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा (टि0ग0)	Executive Engineer Construction Division Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam (अधिशासी अभियन्ता) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा (टि0ग0)	तहसीलदार टिहरी तहसीलदार टिहरी टिहरी गढ़वाल	उपजिलाधिकारी टिहरी उपजिलाधिकारी टिहरी, टि0ग0

परियोजना शीर्षक

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– ....

तहसीलः– टिहरी/कण्डीसौड़ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत .... द्वारा दिनांक 12-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरानत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव परित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत कार्यालय
ह0

ह0
ग्राम प्रधान

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.780 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 12-5-17 को ग्राम पंचायत कलेथ में सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत कलेथ द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क्र0सं0	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1.	राजवीर सिंह भण्डारी	R.S. Bhandari
2.	सुन्दर सिंह पवार	सुन्दर सिंह
3.	विनोद सिंह भण्डारी	[illegible]
4.	कीर्ति सिंह भण्डारी	[illegible]
5.	सन्त सिंह मिंयवाल	[illegible]
6.	राजेन्द्र सिंह मिंयवाल	राजेन्द्र सिंह
7.	कुंवर सिंह गुसांई	कुंवर सिंह
8.	महावीर सिंह	[illegible]
9.	विनोद प्रसाद	[illegible]
10.	रोशन लाल	रोशन लाल
11.	कलेथवार	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत कलेथ
ह0 [illegible]
दि0
वि0 खं0 थौलधार (टिहरी गढ़0)

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.730 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:– मौ० 3५

तहसील:– टिहरी/कण्डीसौड़ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मौ० 3५ द्वारा दिनांक 14-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरानत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 6.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 14-5-12 को ग्राम पंचायत सौड़ 254 में सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत सौड़ 254 द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क्र0सं0	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1.	प्रभा देवी	प्रभा देवी
2	मदन सिंह	मदन सिंह
3.	राजसिंह	[illegible]
4	विरेन्द्र दत्त	[illegible]
5.	सुशीला देवी	सुशीला देवी
6.	अनिल प्रसाद	[illegible]
7	सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
8.	मेहर सिंह	मेहर सिंह
9.	महिपाल सिंह	महिपाल
10.	रणजीत सिंह	रणजीत सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत सौड़ 254
ग्रा0 पं0 सौड़ टिहरी गढ़

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:– ओलणी

तहसील:– टिहरी/कण्डीसौड़ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ओलणी द्वारा दिनांक 19-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत ओलणी
वि० ख० थौलधार टिहरी गढ़वाल

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 19-5-17 को ग्राम पंचायत [illegible] में सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क्र0सं0	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	मगन सिंह नेगी	[illegible]
2	भगवान सिंह रावत	[illegible]
3	विरेन्द्र सिंह पंवार	[illegible]
4	बलदेव [illegible]	बलदेव सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] टिहरी गढ़वाल

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत्त सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- बेरगांव

तहसील:- टिहरी/कण्डीसौड़ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बेरगांव द्वारा दिनांक 22/5/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0

ग्राम प्रधान

भवानीदेवी

दिनांक ______

कण्डीसौड़ (टिहरी)

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 24/5/17 को ग्राम पंचायत [illegible] में सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क्र0सं0	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	कुंवर सिंह सजवाण	[signature]
2	[illegible] रावत	[signature]
3	कलम सिंह रावत पु० मोहन सिंह	[signature]
4	धर्म सिंह राणा	[signature]
5	आनन्द सिंह सजवाण	[signature]
6	कलम सिंह रावत -II	[signature]
	[illegible]	
7	रणजीत सिंह सजवाण	[signature]
8	विनोद कुमार राणा	[signature]

[stamp: ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] भवानी देवी [illegible] (टिहरी)]

(35)

परियोजना शीर्षक

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– सूरीधार

तहसीलः– टिहरी/कण्डीसौड़ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सूरीधार द्वारा दिनांक 21-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरानत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत सूरीधार
ह0
दि0
पो0 के0 सौलधार (टिहरी गढ़वाल)

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम– जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 21-5-17 को ग्राम पंचायत ....उपूधार........ में सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत ......उपूधार...... द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
	राम चन्द्र सिंह रावत	[illegible]
	प्रताप सिंह नेगी	प्रताप सिंह
	किशोर सिंह	[illegible]
	[illegible] सिंह [illegible]	[illegible] सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत उपूधार
ह0
दि0
वि0 ख0 थौलधार टिहरी गढ़वाल

परियोजना शीर्षक

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्रम पंचायत का नामः– सेमवालगांव

तहसीलः– टिहरी/कण्डीसौड़ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड मे जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्रम पंचायत सेमवालगांव द्वारा दिनांक 25-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरानत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम-चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 25-5-17 को ग्राम पंचायत [illegible] में सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क्र०सं०	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	कृष्णानन्द सेमवाल	कृष्णानन्द
2-	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
3-	हंसपाल सिंह	हंसपाल सिंह
4-	शम्भु प्रसाद सेमवाल	शम्भु प्रसाद
5-	राजेश्वरी सेमवाल	राजेश्वरी सेमवाल

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
राजेश्वरी [illegible]

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:– ......सेलूर......

तहसील:– टिहरी/कण्डीसौड़ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......सेलूर...... द्वारा दिनांक 26-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत सेलूर
ह0........
दि0........
वि0 ख0 थौलधार (टिहरी गढ़वाल)

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम– जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.72 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 26-5-17 को ग्राम पंचायत सेलूर में सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत सेलूर द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क0सं0	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
	कलीराम डबराल	कलीराम
	नारायण सिंह	नारायण सिंह
	सोबनी देवी	सोबनी देवी
	मुरारी लाल	मुरारी लाल
	उत्तम सिंह	उत्तम सिंह
	सूर्य प्रकाश	सूर्यप्रकाश
	मुरारी लाल II	मुरारी लाल
	विजय प्रकाश	विजय प्रकाश

प्रधान ग्राम पंचायत सेलूर
ह0 [signature]
दि0
वि0 ख0 थौलधार (टिहरी गढ़वाल)

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नामः- ......ESSA......

तहसीलः- टिहरी/कण्डीसौड़ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कार्य का नामः- जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......ESSA...... द्वारा दिनांक ...21-5-17... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम प्रधान

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 673 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 21-5-17 को ग्राम पंचायत इडवालगांव में सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत इडवालगांव द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क्र0सं0	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्रीमति नीलम देवी	नीलम डोभाल
2-	श्रीमति रमा देवी	रमा देवी
3-	श्रीमति कुशला देवी	कुशला देवी
4-	मोहन सिंह	[signature]
5-	राजेन्द्र सिंह नेगी	[signature]
6-		

[stamp: प्रधान ग्राम पंचायत ... (टि0 ग0)] [signature]

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:– ......अलेर.......

तहसील:– टिहरी/कण्डीसौड़ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत .अलेर....... द्वारा दिनांक 29-05-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत अलेर

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 29-05-17 को ग्राम पंचायत अलेरु में सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत अलेरु द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क्र0स0	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	रतन सिंह	[illegible]
2	वीरेन्द्र राणा	[illegible]
3	भोल सिंह	[illegible] सिंह
4	त्रिलोक सिंह	त्रिलोक सिंह
5	बच्चन दास	[illegible]
6	प्यार सिंह	प्यार सिंह
7	बिमादेई	[illegible]
8	राम लाल	[illegible]
9	जोगेन्द्र सिंह	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]

प्रधान ग्राम पं. अलेरु
BO.......
RO.......
वि0 ख0 थौलधार टिहरी गढ़वाल

(45)

परियोजना शीर्षक

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– ......सौरा (सुवा)

तहसीलः– टिहरी/कण्डीसौड़ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......सौरा (सुवा)...... द्वारा दिनांक 30-05-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत सौरा सुवा
ह0
दि0
वि0 ख0 थौलधार टिहरी

ह0
ग्राम प्रधान
प्रमोद रमोला
प्रधान
सौरा-सुवा
थौलधार

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 30-05-17 को ग्राम पंचायत ......डोबरा (धुन्धू)...... में सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत ......डोबरा (धु0)...... द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क्र0सं0	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1/	रणवीर लाल	[signature]
2/	श्रीमती सुशीला देवी	सुशीला देवी
3/	" दुर्गा देवी	दुर्गा देवी
4/	" कविता देवी	कविता
5/	श्री सुशील चन्द	Sushil Chand
6/	" लक्ष्मी चन्द	[signature]
7/	" महावीर चन्द	[signature]
8/	" महावीर लाल	[signature]
9/	" रणवीर चन्द	[signature]
10/	" विनोद लाल	[signature]
11/	" मोती सिंह रावत	मोतीसिंह

प्रधान ग्राम पंचायत
डोबरा
वि0 ख0 थौलधार (टि0 ग0)